

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार पटना।
आदेश

सं० सं०-4/विधि-6-31/2015 80(4) पटना, दिनांक- 15.01.2016

कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक-6069 दिनांक-17.09.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में निम्नलिखित स्वास्थ्य प्रशिक्षकों को कार्यपालक निदेशक के अधीन कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था। प्रतिनियुक्त कर्मियों द्वारा बताया गया उनके कार्यक्षेत्र, राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्य प्रणाली, एवं आवश्यकता से पूर्णतः भिन्न रहने के कारण प्रशासी पदाधिकारी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक-8469 दिनांक-24.12.2015 द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मियों की सेवा निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को वापस कर दिया गया है। उक्त के आलोक में सभी संबंधित कर्मियों द्वारा दिनांक-28.12.2015 को निदेशालय में योगदान किया गया है।


कार्यहित में निदेशालय में प्रतिनियुक्ति पर योगदान किये स्वास्थ्य प्रशिक्षकों की सेवा उनके नाम के सामने अंकित पदाधिकारी के अधीन तत्काल प्रभाव से की जाती है:-

क्रमांक	नाम, पदनाम एवं मूल पदस्थापन संस्थान	संबंधित पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
01.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, लाखापुर रतनी फरीदपुर, जहानाबाद	डा० सकलदीप चौधरी अपर निदेशक
02.	मो० अफरोज अहमद, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, पीपरा, महाराजगंज सिवान	डा० उदय शंकर चौधरी अपर निदेशक
03.	श्री प्रभात कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, जुडावनपुर राघोपुर, वैशाली	डा० गणेश महतो, अपर निदेशक
04.	मो० इरशाद सरवर, स्वा० प्रशिक्षक, अति०प्रा० स्वा० केन्द्र, रसूलपुर पटोरी, समस्तीपुर	डा० सी०एम०झा, निदेशक (प्रचार प्रसार)
05.	श्री मुकेश कुमार, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, मारथू, घोषी, जहानाबाद	डा० ए०के० गुप्ता, अपर निदेशक
06.	श्री विनय कुमार मेहता, स्वास्थ्य प्रशिक्षक अति०प्रा० स्वा० केन्द्र, नंदना, घोषी, जहानाबाद	डा० विमेश प्रसाद सिंह, निदेशक
07.	श्री संजय कुमार सिंह, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, करजान, अथमलगोला, पटना	डा० राधा कान्त सिंह सुधाकर, अपर निदेशक

2. उक्त कर्मियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।

3. प्रतिनियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान संबंधित पदाधिकारी द्वारा निर्गत किये जाने वाले अनुपरिस्थिति विवरणी के आधार पर उनके मूल पदस्थापन संस्थान से की जायेगी।

4. उक्त आदेश में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग की सहमति प्राप्त है।


(डॉ० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख(प्रशासन)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।

सं० सं०-4/विधि-6-31/2015


80(4)

/स्वा०, पटना, दिनांक- 15.01.2016

प्रतिलिपि-सभी संबंधित पदाधिकारी/स्वास्थ्य प्रशिक्षक/संबंधित सिविल सर्जन/सभी संबंधित प्रशासी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, के प्रधान आर्य सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी के निजी सहायक/ निदेशक प्रमुख (प्रशासन) के निजी सहायक/उपसचिव (स्थापना) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को निदेशित है कि इस आदेश को विभागीय साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।


निदेशक प्रमुख(प्रशासन)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।